



कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/ 6705

दिनांक : 15/11/22

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा

विषय: Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti (Raj.)
(Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016)

प्रसंग: आपका पत्रांक 10092 दिनांक 09.11.2022 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्रेषित जवाब का निरीक्षण करने पर निम्नांकित कमियां पाई गयी है जिनमें संशोधन किया जाना अपेक्षित है:-

1. बिन्दु संख्या-1 में पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-5 पर प्रस्तावित वनभूमि हेतु कार्य आयोजना प्रिस्क्रिप्शन अंकित करना था जबकि आप द्वारा कार्य आयोजना में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान की प्रति संलग्न कर दी गई है। प्रस्तावित वन भूमि कार्य आयोजना में किस वर्किंग सर्किल में आता है उसका उल्लेख करें।
2. बिन्दु संख्या-2 में वन (संरक्षण) अधिनियम उल्लंघन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति, संस्था का नाम दिया जाना था। यूजर ऐजेन्सी द्वारा नाम प्रस्तावित करने के बावजूद आपके द्वारा पार्ट-1A में नाम अंकित नहीं किये गये है।
3. बिन्दु संख्या-3 में आपके द्वारा वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना अंकित किया है जबकि पार्ट-1A में बिन्दु संख्या-12 में अभी भी उल्लंघन किया जाना अंकित किया गया है।
4. बिन्दु संख्या-5 में आप से प्रस्तावित दीवार निर्माण का आधार स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था जो नहीं किया गया है।

अतः उक्तानुसार बिन्दुओं की स्थिति स्पष्ट/पूर्ति कर शीघ्र भिजवावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा